



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64078

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2963/2026

संजीव एवं अन्यआवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थीगण

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: लवकुश दीक्षित

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 194/2023, धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता, थाना फिरोजाबाद उत्तर, जनपद फिरोजाबाद में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदकगण एक अन्य अभियुक्त के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। प्रारंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें संबंधित न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान कर दी गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि घटना के बाद घायल को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया और सरकारी अस्पताल द्वारा तैयार की गई चोट रिपोर्ट के अनुसार घायल को दो चोटें आईं जो प्रकृति में साधारण पाई गईं। इसके पश्चात, घायल का एक निजी ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जिसमें उसके शरीर पर चार चोटें पाई गईं, जिनमें से दो चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं और दो चोटों को निगरानी में रखा गया तथा वे चोटें जीवन के लिए खतरनाक पाई गईं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि घायल को सरकारी अस्पताल द्वारा निजी उपचार के लिए संदर्भित किया गया था, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण को झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर मामले में फंसाया जा रहा है, और इस प्रकार निजी अस्पताल द्वारा तैयार की गई फर्जी चोट रिपोर्ट के आधार पर धारा 308

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भारतीय दण्ड संहिता जोड़ी गई, अतः यह तर्क दिया गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्हें आशंका है कि उन्हें उपर्युक्त मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उनके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विचारण में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।
5. यह कहा जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
6. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सरकारी अस्पताल द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार घायल को दो साधारण चोटें आई थीं, जबकि निजी अस्पताल द्वारा तैयार की गई चोट रिपोर्ट के अनुसार घायल के शरीर पर चार चोटें आईं, जिनमें से दो चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं और दो चोटों को निगरानी में रखा गया तथा वे चोटें जीवन के लिए खतरनाक पाई गईं, इसके अलावा, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि घायल को सरकारी अस्पताल द्वारा निजी उपचार के लिए संदर्भित किया गया था, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण को दुर्भावनापूर्ण इरादे और छिपे हुए उद्देश्य से मामले में फसाया गया है, इसलिए, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।
7. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदकगण- संजीव और देवेंद्र शंखवार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें विचारण की समाप्ति तक 50,000/- रुपये प्रत्येक के निजी मुचलके और उसी राशि के दो-दो प्रतिभूतियों पर संबंधित न्यायालय के संतोष के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

(i) आवेदकगण आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित होंगे और कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेंगे।

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

(iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय आवेदकगण को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

26 मार्च, 2026

मुस्तकीम।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"